

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-2


पत्रांक : सीएसयूएच(आर)- 1387 / 2024-2025

दिनांक : मार्च 26 ,2025

प्रभारी अधिकारी,
ए0के0एम0यू0,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

विश्वविद्यालय पत्र संख्या-सीएसयूएच(आर)-1222 / 2024-25 दिनांक 21.02.2025 द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन संचालित विभिन्न महाविद्यालयों में सृजित सहायक प्राध्यापक पदों के तैयार आरक्षण/रोस्टर के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का सक्षम स्तर पर निस्तारण पत्र (संलग्न) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


निदेशक,
प्रशासन एवं मानीटरिंग

विश्वविद्यालय के सृजित सहायक प्राध्यापक पद हेतु तैयार आरक्षण/रोस्टर पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण का विवरण:-

क्र०सं०	आपत्तिकर्ता का नाम	प्राप्त आपत्तियाँ	निस्तारण
1.	श्री इन्द्रेश कुमार	वानिकी/कृषि वानिकी विषय के सहायक प्राध्यापक को भूमि संरक्षण एवं जल प्रबंधन विभाग से वानिकी विभाग में आरक्षण रोस्टर जारी करने हेतु।	वानिकी/कृषि वानिकी विषय के सहायक प्राध्यापक के पद भूमि संरक्षण एवं जल प्रबंधन विभाग में विश्वविद्यालय बनने के पूर्व से विद्यमान है।
2.	श्री अभिषेक प्रताप सिंह		
3.	श्री रेशव चहल		
4.	डा० अरविन्द कुमार त्रिपाठी		
5.	श्री सत्य प्रकाश शर्मा		
6.	श्री हर्षित पालीवाल		
7.	श्री गोपू		
8.	श्री विरेन्द्र कुमार		
9.	श्री शंकर सहाय		
10.	डा० राज कुमार		
11.	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव		
12.	डा० शाह आलम	आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में वनस्पति विज्ञान के स्थान पर कृषि वनस्पति विज्ञान को शामिल कर संशोधित किये जाने के सन्दर्भ में।	शासनादेशों के अनुसार आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में वनस्पति विज्ञान पदनाम से सृजित है, अर्हता में कृषि वनस्पति विज्ञान भी शामिल हैं।
13.	डा० ए० के० मिश्रा		
14.	श्री गोविन्द सिंह	प्रक्षेत्र शक्ति एवं यंत्र अभियांत्रिकी को संशोधित कर कृषि यंत्र एवं शक्ति अभियांत्रिकी नाम रखने के सम्बंध में।	शासन एवं मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रक्षेत्र यंत्र एवं शक्ति अभियांत्रिकी पदनाम से सृजित है।
15.	श्री कुनाल भेलव		
16.	श्री ललित यादव		
17.	श्री आदर्श शुक्ला		
18.	डा० रिंकी सोनल	उत्पादन एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विभाग को मत्स्य उत्पादन एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विभाग करने के सम्बंध में।	उत्पादन एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विभाग को मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विभाग के नाम से आरक्षण रोस्टर संशोधित किया गया है।
19.	श्री अवधेश कुमार		
20.	CoFSc. Office, Etawah	विभागों क्रम संख्या-10 पर जलीय पर्यावरण के स्थान पर जलीय पर्यावरण प्रबन्धन तथा पद का नाम सहायक प्राध्यापक, मत्स्य स्वास्थ्य के स्थान पर सहायक प्राध्यापक, जलीय पर्यावरण प्रबन्धन करने के सम्बंध में।	अभिलेखानुसार क्रम संख्या-10 पर अंकित जलीय पर्यावरण विभाग के नाम को जलीय जीव स्वास्थ्य प्रबन्धन तथा पद का नाम सहायक प्राध्यापक, जलीय जीव स्वास्थ्य प्रबन्धन किया गया है
21.	डा० हर्ष कुमार सिंह	क्रम संख्या-38 पर सहायक प्राध्यापक, जीव रसायन के स्थान पर सहायक प्राध्यापक, कृषि जीव रसायन करने के सम्बंध में।	शासनादेशों के अनुसार कृषि जीव रसायन विभाग में, विश्वविद्यालय बनने के पूर्व से सहायक प्राध्यापक जीव रसायन पदनाम से सृजित है, अर्हता में कृषि जीव रसायन सम्मिलित हैं।
22.	श्री विपिन कुमार वर्मा	रोस्टर में अंकित विभिन्न विषयों के गलत नाम के सम्बंध में।	
23.	डा० कौशल कुमार	सहायक प्राध्यापक के 08 पद के स्थान पर 06 पद दर्शाये जाने के सम्बंध में।	विश्वविद्यालय के अभिलेखानुसार सहायक प्राध्यापक के 06 पद एवं दो पद शोध के शासन एवं मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा सृजित किये गये हैं।

कमरी:

24.	डा० सी०एल० मौर्य, अधिष्ठाता, कृषि संकाय	पत्रसंख्या-सीएसयूडी/1946/ 2024-25 दिनांक 07.03.2025 के द्वारा डा० सी० एल मौर्या, अधिष्ठाता, कृषि संकाय, कानपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक के आरक्षण / रोस्टर में आपत्ति विषयक	बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना मा० प्रबन्ध मण्डल की 38वीं बैठक दिनांक 29.07.1981 में की गई थी। तदोपरान्त शासन द्वारा शैक्षणिक संवर्ग में सहायक प्राध्यापक का कोई भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है।
25.	श्री बादल यादव	विज्ञापन संख्या-02/2018 में सहायक प्राध्यापक, मछली पोषण का पद सामान्य श्रेणी में विज्ञापित किया गया था। जबकि संशोधित रोस्टर में उक्त पद को ओ० बी०सी० श्रेणी के अन्तर्गत पुनर्वर्गीकृत करने के सम्बंध में।	आरक्षण अधिनियम 1994 एवं तदन्तर्गत निर्गत रोस्टर के अनुपालन हेतु शासन के पत्र संख्या: 1694/सत्तर -1-2003 दिनांक: 01.08.2003 एवं शासनादेश संख्या: 1618 /67-कृषिअ -07-एक्यू 3003/82 दिनांक: 16.01.2008 के क्रम में विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए उपाचार्य एवं प्रवक्ता पद हेतु आरक्षण रोस्टर पूर्व में तैयार किया गया था। तदोपरान्त शासनादेश संख्या: 6/2015-916/सत्तर- 1- 2015 -17(13) /1995 टी०सी० दिनांक: 30.11.2015 एवं शासनादेश संख्या: 4/2016 /239/सत्तर-1-2016-17 (13)/1995 टी०सी० दिनांक: 19.02.2016 के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को इकाई मानते हुए सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पद हेतु आरक्षण रोस्टर वर्ष 2016 में तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 5/2019/4 /1/2002 का-2/2019टी.सी.1 एवं शासनादेश संख्या:- 977/सत्तर-1 -2019-16 (29)/2019 दिनांक: 02.09.19 के क्रम में पूर्व के सभी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नवीन व्यवस्थानुसार 100 बिन्दुओं के आरक्षण/रोस्टर में अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सम्मिलित करके, विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए विश्वविद्यालय के विभागों के नाम को हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुक्रम अर्थात् अ,आ,इ,ई.....के क्रम में व्यवस्थित कर उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा नवीन आरक्षण/रोस्टर तैयार किया गया है।
26.	श्री इन्दल सिंह	पत्र संख्या दिनांक 04.03.2025 के क्रम में	
27.	श्री मुकेश पाल	पत्र संख्या दिनांक-07.03.2025 के क्रम में	
28	डा० राजीव कुमार सिंह	पत्र संख्या दिनांक-01.03.2025 के क्रम में	

निदेशक,
प्रशासन एवं मानीटरिंग